न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 242 / 2021(2021 / 560)

1 घीसा पुत्र श्री भूरा माली जाति माली निवासी देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

–प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब केकड़ी ।

---अप्रार्थी

उपस्थित –

श्री लेन्सी डावर – वकील प्रार्थी

पैरोकार सरकार(जरीये तहसीलदार केकडी) – अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज. काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णयः–

दिनांक 6.7.2022

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है:–

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम कर निवेदन किया यह कि प्रार्थी की खातेदारी ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकडी की आराजीयात निम्नानुसार है।

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
92–88	306	0.62	नहरी–1
	किता 1	रकबा 0.62हैक्टर	

आराजी खसरा 306 जो कि प्रार्थी की है में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 366 किस्म गै.मु.रास्ता से शुरू होता है तथा व अन्य खातेदार अप्रार्थी राजस्थान सरकार की आरजी खसरा संख्या 304 व 305 में से होकर प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 306 में पहुंचता है उक्त रास्ता कदीमी है तथा लगभग 40 फिट चौडा है तथा इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की अराजी में जाने का कोई रास्ता नही है प्रार्थी को अन्य खातेदार द्वारा उक्त रास्ते पर आने जाने में रूकावट पैदा की जा रही है तथा बार–बार कहे जाने पर भी सहमती नही बन रही है तथा रूकावट जारी है आवश्यकता आत्यन्तिक है अतः उक्त विद्यमान मार्ग को राजस्व रिकोर्ड में रास्ता के रूप में अभिलेखित किया जाने का निवेदन किया प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु तैयार है रास्ता घुमाव पर होने के कारण 40 फिट रास्ता आवश्यक है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी **जर्ये पैरोकार सरकार की ओर से जवाब/मौका रिपोर्ट प्राप्त हुआ।** जिसे सामिल पत्रावली किया गया। जो निम्नानुसार है:–

1. प्रार्थी द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि ग्राम देवलियाखुर्द खसरा नंबर 306 रकाब 0.62हैक्टर पर आने जाने रास्ता चाहा गया है।
2. वर्तमान में प्रार्थी खातेदार भूमि पर खसरा नंबर 304, 305 के मेड के सहारे रास्ते के मांग की गई है उक्त खसरा नंबर सिवायचक भूमि है। जिसकी किस्म नहरी–1 दर्ज रिकोर्ड है।
3. प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता का विकल्प नही है।
4. प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम दूरी का रास्ता है।

प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित होगा।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

6. ख.न. 304 में से 252 वर्गमीटर एवं ख.न 305 में से 36 वर्गमीटर कुल 0.288 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु जिसकी डी.एल.सी दर 213306/– प्रति हैक्टर से 12286रूपये बनते हैं।
7. भूमि सिवायचक होने से प्रार्थी भूमि किमत देने को तैयार है।
8. प्रस्तावित रास्ता का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकारी करने हेतु निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। प्रार्थी की खातेदारी आराजी ग्राम देवलियाखुर्द के खसरा नंबर 306 पर आने जाने हेतु आराजी खसरा नंबर 304 व 305 की मेड के सहारे रास्ता की मांग की गयी। जो मौके पर प्रार्थी देवलियाखुर्द कणोंज रोड से(आडागेला) से मगरा की ओर जाने वाले रास्ते के सहारे बना रास्ता(ग्रेवल) से खसरा नंबर 304–305 की सिवायचक(सरकारी) भूमी की मेड के सहारे से खसरा नंबर 306 पर आ जा रहे है जिसमे खसरा नंबर 304/0.16 में 42x6=252 वर्गमीटर व खसरा नंबर 305/0.04 मे से 6x6=36 वर्गमीटर सिवायचक खातेदार में से कुल रास्ते में उपयोग में आयी भूमि 0.0288हैक्टर (288वर्गमीटर) है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी रेट की दो गुना से प्रतिदर राशी 12286/–(बारह हजार दो सो छीयासी) रूपये बनते है उक्त प्रस्तावित नजरी नक्शा में लाल स्याही से अंकन हैं निकटतम प्रतित होता है अतः विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–:आदेशः–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की आराजी ग्राम देवलियाखुर्द खसरा नंबर 306 रकबा 0.62हैक्टर में आने जाने के लिए आराजी खसरा नंबर 304 व 305 की मेड के सहारे रास्ता की मांग की गयी। जो मौके पर प्रार्थी देवलियाखुर्द कणोंज रोड से(आडागेला) से मगरा की ओर जाने वाले रास्ते के सहारे बना रास्ता(ग्रेवल) से खसरा नंबर 304–305 की सिवायचक(सरकारी) भूमी की मेड के सहारे से खसरा नंबर 306 पर आ जा रहे है जिसमे खसरा नंबर 304/0.16 में 42x6=252 वर्गमीटर व खसरा नंबर 305/0.04 मे से 6x6=36 वर्गमीटर सिवायचक खातेदार में से कुल रास्ते में उपयोग में आयी भूमि 0.0288हैक्टर (288वर्गमीटर) है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी रेट की दो गुना से प्रतिदर राशी 12286/–(बारह हजार दो सो छीयासी) रूपये बनते है उक्त राशि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी जर्ये पैरोकार सरकार को भुगतान करने के पश्चात उक्त आराजी खसरा नंबर 304 व 305 में मौका रिपोर्ट अनुसार सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार केकडी द्वारा प्रार्थी से उक्त रास्ते में उपयोग में आयी भूमि की वर्तमान डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि 12286/– रूपये बनी प्रार्थी से वसूल कर नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर ग्राम देवलियाखुर्द के खसरा नंबर 306 में आने जाने के लिए रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एवं नक्शाट्रेस में दर्शाये अनुसार रास्ते के रूप में दर्ज एवं तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेस खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला-अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड (अधिकारी)
केकडी

Scanned with CamScanner